कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर एनबीसीसी ने सुपरटेक के दो टावरों की दूरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। रिपोर्ट की कापी देने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 11 जनवरी तय की है।

एक्सप्रेस-वे पर कट के डिजाइन बदलेंगे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे को दुर्घटना रहित बनाने की कवायद शुरू हो गई है। एक्सप्रेस-वे पर जगह जगह बने कट के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। कट के गलत डिजाइन के कारण एक्सप्रेस-वे पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे चिंतित प्राधिकरण ने कट के डिजाइन में बदलाव का फैसला किया है। इसकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआइ) को सौंपी गई है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच बने 29 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे पर वाहन बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ सके, इसके लिए पहले कट का प्रावधान नहीं था। यही कारण था कि एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार पहले 120 और बाद में घटाकर 100 किमी प्रतिघंटा निर्धारित की गई। बाद में प्राधिकरण ने एक्सप्रेस वे के किनारे सर्विस रोड बनाकर जगह-जगह कट बना दिए। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक दो दर्जन से अधिक कट बने हुए हैं।

तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर–एएमपीआरआई), भोपाल और सीएसआईआर–सूचना उत्पाद अनुसंधान एवं विकास यूनिट, पूणे में एक पद के लिए विशिष्ट वैज्ञानिक (वैज्ञानिक 'एच') पर स्वीकार्य भत्तों सहित वेतन–मान ₹ **67,000/-** (वार्षिक वेतन वृद्धि @3%)– ₹ **79,000/-** (एचएजी) में आवेदन आमंत्रित करती है। कृपया अधिक जानकारी के लिए सीएसआईआर की वेबसाइट **www.csir.res.in** पर उपलब्ध पूर्ण विज्ञापन देखें। कृपया प्रकाशनों/पेटेंटों आदि की सूची सहित अपना पूर्ण बायोडाटा ई–मेल/डाक द्वारा **महानिदेशक, सीएसआईआर, अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001** को भेजें। पूर्ण भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख **10 फरवरी 2017** है। ई–मेल: **dg@csir.res.in** या **dg@csir.res.in**

भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य में जन साधारण/किसानों के ध्यान आकर्षण हेतु।

केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण को यह सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या 5/13/1371/62-1-2014-04R/2009 दिनांक 13.10.2014 के द्वारा अति दोहित और गंभीर क्षेत्रों में किसानों के नए बोरवेलों/ट्यूबवेलों के विद्युतीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में अति दोहित और गंभीर क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को लागू करने से संबंधित राज्य सरकार के निर्देश केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.08.2006 को जारी निर्देश संख्या 32-1/CGWA/2005-219 के अनुपालन में हैं। तथापि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र, जिसे कि औद्योगिक गतिविधियों के कारण भूमि जल में विषैले तत्वों के संदूषण को देखते हुए अधिसूचित किया है, को छोड़कर किसानों के नए बोरवेलों/ट्यूबवेलों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसके अतिरिक्त, राज्य के किसानों पर 13.10.2016 से प्रभावी प्रतिबंध न तो केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण के किसानों के दिशा निर्देशों के और न ही किसी केंद्रीय कानून के समान हैं। यह सार्वजनिक सूचना उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जन साधारण/किसानों की जानकारी के लिए जारी की गई है।

अध्यक्ष
04.01.2017

डीएवीपी 45104/11/0025/1617